न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 2530-दो/2012 - विरूद्ध आदेश दिनांक 12-6-2012 - पारित व्दारा - अनुविभागीय अधिकारी, सिरमौर जिला रीवा - प्रकरण क्रमांक 64/2011-12 अपील

1- श्रीमती आशादेवी पत्नि गोपिका प्रसाद मिश्रा
2- श्रमती प्रेमिला देवी पत्नि राम3मणि मिश्रा
3- गोपिकाप्रसाद पुत्र स्व.मंगलदीन मिश्रा
निवासीगण ग्राम भवरा तहसील सेमरिया
जिला रीवा, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- बिहारीलाल पुत्र स्व.मंगललदीन मिश्रा
2- विवेककुमार पुत्र विहारीलाल मिश्रा
3- अखण्डकुमार पुत्र विहारीलाल मिश्रा
4- कृष्णकुमार पुत्र विहारीलाल मिश्रा
5- विपिनकुमार पुत्र विहारीलाल मिश्रा
निवासी ग्राम भवरा तहसील सेमरिया
जिला रीवा, मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री राजकुमार मिश्रा)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुनेन्द्र मिश्रा)

आ दे श

(आज दिनांक09-03-2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, सिरमौर के प्र0क0 64/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-11-2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है आवेदकगण ने ग्राम सभा भमरा के प्रस्ताव कमांक 1(9) , 1(10), 1(11), 1(12) से पटवारी की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 23, 24, 25,. 26 वर्ष 2009 में सभी पर पारित आदेश दिनांक 28-2-2009 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष दिनॉक 9-9-2011 को अपील प्रस्तुत करते हुये अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन भी दिया। अनुविभागीय अधिकारी ने पक्षकारों को अवधि विधान की धारा-5 पर सुनकर आदेश दिनांक 16-11-2012 पारित किया तथा अपील बेरूम्याद होना मानकर निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी, सिरमौर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्को के कम में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदकगण ने नामान्तरण आदेश दिनांक 28-2-2009 के विरूद्व प्रस्तुत की गई अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन एंव पुष्टिकरण में शपथ पत्र दिया है जिसमें विलम्ब के संबंध में स्पष्टीकरण पद-3 इस प्रकार है :-

- यह कि अपीलार्थी का अना.गण से दिनांक 4-9-2011 तक भाई चारे व सौभाग्यपूर्ण संबंध स्थापित था लेकिन अना.क. 1 व्दारा अपीलार्थी के हिस्से व कब्जे भूमि का बटवारा नामांकण की जानकारी प.ह. भमरा से हस्तलिखित खसरा की नकल दिनांक 04-09-11 को लेते समय पहली वार जानकारी हुई, इसके पूर्व अपीलार्थी को बटवारा नामान्तरण के संबंध में कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। जानकारी मुताविक अपीलार्थी दिनांक 4-9-11 को बटवारा पंजी की नकल हेतु तहसील कार्या. सेमरिया में आवेदन पत्र दिया जो दिनांक 8-9-11 को साम 3.00 बजे प्राप्त हुई जिसके वाद अधिवक्ता से संपर्क कर अपील तैयार कराकर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है। *

उक्तानुसार स्पष्टीकरण पर अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर की विवेचना इस प्रकार है :-

- **जानकारी दिनांक 4-9-11 के पश्चात् 8-9-11 को नकल तहसील कार्यालय से प्राप्त होना लेख किया गया है परन्तु 5-9-11 से 7-9-11 तक का स्पष्टीकरण म्याद अधिनियम के आवेदन में नहीं दर्शाया गया। न ही आवेदन के समर्थन में कोई विश्वासपूर्ण सामग्री ही प्रस्तुत की गई।** *

अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में ग्राम की नामान्तरण पंजियों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न है जिनके अनुसार दिनांक 7-9-11 को प्रमाणित प्रतिलिपि का

आवेदन दिया गया है एंव दिनांक 8-9-11 को प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्राप्त हुई है, जब आवेदकगण अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में यह बता रहे हैं कि बटवारा नामांकण की जानकारी प.ह. भमरा से हस्तलिखित खसरा की नकल दिनांक 04-09-11 को लेते समय पहली वार जानकारी हुई, इसके पूर्व अपीलार्थी को बटवारा नामान्तरण के संबंध में कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। इसके वाद के दिनांक 5 एंव 6 केवल 2 दिवस के स्पष्टीकरण के समाधान न होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को बेरूम्याद होना माना है जबकि दो दिवस का विलम्ब अनुचित विलम्ब की श्रेणी में नहीं माना चाहिये।

परिसीमा अधिनियम , 1963 की धारा 5 में व्यवस्था दी गई है कि अपील फाइल करने में विलम्ब की माफी पर विचार किया जाना है और विलम्ब माफी का बाजिव कारण बताया गया है तब विलम्ब माफ कर देना चाहिये। मामला गुणागुण पर निराकरण के लिये विचार में लिया जाना चाहिये। अवधि विधान की धारा-5 सहपठित म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 के आवेदन के कारणों पर विचार करते हुये मामले में विधि का सारवान सिद्धांत अंतर्ग्रस्त हों तब परिसीमा की तकनीक उस पर अभिभावी नहीं मानना चाहिये एंव ऐसे मामले में न्याय से इंकार नहीं करना चाहिये (A.I.R. 1987 S.C. 1353 से अनुसरित)

अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील प्रस्तुत करने में हुये मात्र दो दिवस के विलम्ब को आधार मानकर अपील बेरूम्याद मानने में भूल की गई है।

1. मोहम्मद कादिर विरूद्व नन्नू 1968 रा0नि0 90 में प्रतिपादित है कि जब निचले न्यायालय ने किसी महत्वपूर्ण तथ्य संबंधी प्रश्न का निर्णय न किया हो, तब मामला उसके निर्णय के लिये लौटा देना चाहिये।
2. गोपाल सिंह विरूद्व चिरोंजीलाल 1992 रा0नि0 390 में बताया गया है कि अपीलीय न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में विसंगति पायी जाय। अधीनस्थ न्यायालय को युक्तियुक्त निर्देश के साथ मामला लौटाना चाहिये।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, सिरमौर के प्र0क्र0 64/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-11-2012 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर अपील प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करें।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर